झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

प्रथम अपील सं0–71 वर्ष 2019

मनोज कुमार पोद्दार .... अपीलार्थी

बनाम्

श्रीमती दीपा पोद्दार .... प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

अपीलार्थी के लिए :– श्री भोला नाथ रजक, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिएः– श्रीमती वंदना सिंह, अधिवक्ता

07/04.11.2020 श्री भोला नाथ रजक, अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्रीमती वंदना सिंह, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद हैं।

2. अपीलार्थी एक पिता है जो गार्जियनशिप सूट सं0 01/2017 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरायकेला–खरसांवा द्वारा दिनांक 19.09.2018 के निर्णय और दिनांक 06.10.2018 के डिक्री से व्यथित हैं, जो प्रतिवादी पत्नी/माँ के विरूद्ध अपीलार्थी पति/पिता के द्वारा अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 25 के तहत संस्थित नाबालिग बच्चा जीत पोद्दार की अभिरक्षा के लिए किया गया सूट है।

3. इस अपील के लंबन के दौरान, पक्षों को 17.09.2020 के आदेश द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था, जो कि विद्वान मध्यस्थ, झालसा द्वारा पत्र सं0 1383

दिनांक 12.10.2020 से प्रस्तुत किया गया और फ्लैग–Y पर रखे हुए प्रतिवेदन के अनुसार यह सफल साबित हुआ है। नाबालिग बच्चे जीत पोद्दार की अभिरक्षा से संबंधित विवाद का हल यह निकाला गया है कि संबंधित विवाद को माँ के साथ शेष शारीरिक हिरासत के साथ हल किया गया है कि बच्चा माँ के साथ ही रहेगा और पिता को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर मुलाकात करने का अधिकार रहेगाः–

I. ''यह कि, अपीलकर्त्ता मनोज कुमार पोद्दार को अक्तूबर 2020 से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे रविवार को अपने बेटे से मिलने का छूट रहेगा। अपीलकर्त्ता को त्योहार के दिनों में जैसे दुर्गा पूजा के अष्टमी को, होली, काली पूजा और दिवाली के दिन अपने बेटे से मिलने का अधिकार रहेगा।

II. पक्षों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक मुलाकात से पहले, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलकर्त्ता मनोज कुमार पोद्दार अपनी प्रतिवादी पत्नी श्रीमती दीपा पोद्दार को उनके फोन पर कॉल करेंगे और आने का समय तय करेंगे।

III. पक्षों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि चूंकि पूरा देश कोरोना वायरस महामारी की चपेट में बना हुआ है, इसलिए मनोज कुमार पोद्दार, अपीलकर्त्ता, अपने बेटे, अब नाबालिग, से मिलने श्रीमती दीपा पोद्दार, प्रतिवादी पत्नी के निवास पर जाएंगे, और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे घर के बाहर ले जाने से बचेंगे।

IV. दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि कोविड के बाद और भारत सरकार एवं झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सामान्य स्थिति आने के बाद, मनोज कुमार पोद्दार, अपीलार्थी, अपने बेटे को प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार

को आदित्यपुर, जमशेदपुर में अपने निवास पर ले जाने का हकदार होंगे, ताकि बच्चा अपने दादा–दादी से मिल सके।

मनोज कुमार पोद्दार, अपीलकर्त्ता, जमशेदपुर में आदित्यपुर बाजार में एक छोटा सा व्यवसाय चलाता है। दुकान सप्ताह के सभी दिनों को खुलती है। दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि चूंकि बच्चा काफी खेलना–कूदना पसंद करता है और अपीलकर्त्ता के वृद्ध माता–पिता बच्चे के पीछे–पीछे भागने में असमर्थ होंगे, अपीलकर्त्ता मनोज कुमार पोद्दार यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा कोविड के खत्म होने के बाद, प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को केवल उस समय उनके घर पर रहगा जब अपीलकर्त्ता अपने घर पर मौजूद रहतक हैं। पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि कोविड के समाप्त होने के बाद, प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को दोपहर में अपनी दुकान पर लौटने से पहले, मनोज कुमार पोद्दार, अपीलकर्त्ता, नाबालिग बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को उसकी माँ दीपा पोद्दार को सौंप देंगे।

V. पक्षों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि उनका बेटा जीत पोद्दार, श्रीमती दीपा पोद्दार, प्रतिवादी पत्नी और बच्चे की माँ के साथ रहेगा, जब तक कि वह बालिग नहीं हो जाता है। बालिग होने पर, जीत पोद्दार को अभिरक्षा के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। पार्टियाँ इस बात से सहमत हैं कि वे अपने बेटे द्वारा बालिग होने पर जो भी निर्णय लिया जाता है, उसका पालन करेंगे।

VI. आगे, पार्टियाँ मतभेद, यदि कोई हो, जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती है, को आपसी परामर्श के माध्यम से हल करने के लिए सहमत हुई हैं।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपील का निपटान समझौते के संदर्भ में किया जाए।

5. हमने इस अपील के लंबन के दौरान, नाबालिग बच्चे जीत पोद्दार की अभिरक्षा के लिए उनके बीच हुए समझौते के आलोक में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है। अब योग्यता के आधार पर कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस प्रकार, पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में अपील का निपटारा किया जाता है। समझौते की शर्तें डिक्री का हिस्सा बनाई जाएं। तद्नुसार, डिक्री बनाया जाए। लंबित आई0ए0 को बंद किया जाता हैं

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)